TII 6

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल–462004

भोपाल,दिनांक 5-6-08

क्रमांक एफ 73–50 / 20–3 / 2006

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :– अशासकीय शिक्षण संस्था नर्मदा वैली एकेडमी, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण–पत्र देने के संबंध मे।

-----0000-----

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. / ~~आई.सी.एस.ई.~~ से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है :–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था / समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध मे जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि कार्यकारिणी मे सम्मिलित करना होगा।

(3) शिक्षण संस्था मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रुप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध मे समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5-6-08
(ए.एस. पिंगारे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

विजय अग्रवाल शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास समिति सिवनीमालवा
अध्यक्ष

Principal
Narmada Valley Academy
SEONI - MALWA